न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—68/2018

वादीगण

1 नर्बदा पत्नि गोपाराम
2 नेमाराम पुत्र गोपाराम जाति बावरी नि0 अटबडा, तह० सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 पेमाराम पुत्र पन्नाराम
2 मृतक ओगडराम पुत्र पन्नाराम के वारिसान—
2/1 केली देवी पत्नि ओगडराम
2/2 संतोष पुत्री ओगडराम
3 मृतक पीथाराम पुत्र पन्नाराम के वारिसान—
3/1 चन्दनाई पत्नि पीथाराम
3/2 बींजाराम पुत्र पीथाराम
3/3 गुड़िया पुत्री पीथाराम
3/4 ममता पुत्री पीथाराम
3/5 लक्ष्मी पुत्री पीथाराम जातियान चौकीदार नि०अटबडा तह० सोजत जिला पाली।
3/6 कंचन पुत्री पीथाराम, नाबालिग जरिए कुदरती वली माता चन्दनाई पत्नि पीथाराम जाति चौकीदार नि0 अटबडा तह० सोजत जिला पाली।
4 अनोपी देवी पत्नि खेताराम जाति चौकीदार नि0 अटबडा, तह० सोजत जिला पाली।
5 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:—

1. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. प्रतिवादी तहसीलदार सोजत उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक — 04/10/2023

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा अटबडा के खसरा नम्बर 611/1 रकबा 0.6200 है० किस्म बारानी दोयम वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण का 1/5 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। प्रतिवादीगण का 4/5 हक हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा है। वादीगण के पति / पिता गोपाराम पुत्र डुंगाराम ने उक्त कृषि भूमि के खातेदार डावरराम पुत्र पनाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 30.05.2002 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

राशा गोपाराम के स्वर्गवास के बाद वादीगण उक्त कृषि भूमि में अपने 1/5 हक हिस्से पर बतौर खातेदार शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादरथ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया हुआ नही होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच धोरा पाली एवं माळी को लेकर खातेदारान के मध्य वाद विवाद होता रहता है। प्रतिवादीगण संख्या में अधिक है, जो वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करते रहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादरथ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने से साफ इन्कार कर देने से एवं वादीगण को वादरथ कृषि भूमि से बेदखल कर बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकीयां देने पर वादीगण के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा। इसलिए वादीगण ने यह वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। बिनायदावा दिनांक 04.05.2018 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादरथ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तहसील कार्यालय चल कर करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाडा करवाने से साफ इन्कार कर देने एव वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने एवं बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकीयां देने से बमुकाम अटवडा तहसील सोजत उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अधिवक्ता गया वादिया ने सरहद मौजा अटवड़ा के खसरा नंबर 611/1 रकबा 0. 6200 हैक्टर किरम बारानी भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादीगण के 1 / 5 हिस्से की कृषि भूमि को अलग किये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा के जरिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01, 3/1 से 3/6, 4 तथा 2/1, 2/2 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से क्रमशः दिनांक 26.09.2018 व 03.01.2022 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से ज0दा0 पेश कर पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि सरहद मौजा अटपडा में स्थित होना तथा पैरा संख्या 1 से 4 आपसी होना व प्रतिवादी संख्या 05 फोरमल पक्षकार होने से वाद में राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होना अंकित किया है।

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन प्रा0 डिक्री जारी करने का निवेदन किया। प्रकरण विभाजन का है लिहाजा सरहद मौजा अटपडा के खसरा नम्बर 611/1 रकबा 0.6200 है० किरम बारानी दोयम की भूमि की प्रा0 डिक्री जारी कर वादस्थ उक्त कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2022/377 दिनांक 19.04.2022 के जरिए विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, सोजत ने प्रा0 डिक्री पालना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

नजरी नक्शा तैयार कर अपने पत्रांक/राजस्व/2023/1873 दिनांक 03.10.2023 के जरिए प्रस्तुत किया, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक/राजस्व/2023/1873 दिनांक 03.10.2023 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारानों के मध्य बंटवाड़ा/विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम/राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 27.09.2023 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा अटपड़ा के खसरा नम्बर 611/1 रकबा 0.6200 है0 किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा (है0 मे)	किस्म	लगान
1	नर्मदा पत्नि गोपाराम 1/2 हिस्सा नेमाराम पुत्र गोपाराम 1/2 हिस्सा जाति बावरी सा0 देह खातेदार	611/1 ए	0.1240	बा0दो0	
	योगः-	01	0.1240	बा0दो0	
2	पेमाराम पुत्र पन्नाराम 1/4 हिस्सा जाति मृतक ओगडराम पुत्र पन्नाराम के वारिसान- केली देवी पत्नि ओगडराम 1/8 हिस्सा संतोष पुत्री ओगडराम 1/8 हिस्सा मृतक पीथाराम पुत्र पन्नाराम के वारिसान- चन्दनाई पत्नि पीथाराम 1/24 हिस्सा बीजाराम पुत्र पीथाराम 1/24 हिस्सा गुड़िया पुत्री पीथाराम 1/24 हिस्सा ममता पुत्री पीथाराम 1/24 हिस्सा लक्ष्मी पुत्री पीथाराम 1/24 हिस्सा कंचन पुत्री पीथाराम, 1/24 हिस्सा अनोपी देवी पत्नि खेताराम 1/4 हिस्सा जातियान बावरी साकिन देह खातेदार	611/1	0.4960	बा0दो0	
	योगः-	01	0.6200	बा0दो0	

प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पा...

प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 04/10/2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत